



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के
दिशानिर्देश (2024-25 और उसके बाद)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नई दिल्ली

अंतर्वस्तु

भाग-ए- सामान्य दिशानिर्देश;

भाग-बी-विशेष प्रावधान;

भाग-सी-प्रवेश प्रक्रिया.

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

भाग- ए

सामान्य दिशानिर्देश

1. केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले सभी दिशा-निर्देशों के स्थान पर, शैक्षणिक सत्र 2024-25 और उसके बाद से केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों और डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट एस्टेट, नई दिल्ली-110004 पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ अन्यथा न सुझाए, इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार होगी: -

(i) **केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी:** ऐसा कर्मचारी जो नियमित है (अर्थात् सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर मौलिक क्षमता में कार्यरत कर्मचारी) तथा भारत की संचित निधि से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

(ii) **राज्य सरकार का कर्मचारी:** ऐसा कर्मचारी जो नियमित है (अर्थात् राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर मौलिक क्षमता में कार्यरत कर्मचारी) तथा राज्य की संचित निधि से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

(iii) **स्थानांतरणीय:** वह कर्मचारी जिसका पिछले 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरण हुआ हो, स्थानांतरणीय माना जाएगा।

(iv) **स्थानांतरण :** किसी कर्मचारी को तभी स्थानांतरित माना जाएगा जब उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्थान/शहरी समूह से दूसरे स्थान/शहरी समूह में स्थानांतरित किया गया हो जो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हो और किसी स्थान पर रहने की न्यूनतम अवधि छह महीने होनी चाहिए।

(v) **स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:** ऐसे संगठन जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित होते हैं या जहां सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है/जहां सरकार का नियंत्रणकारी हित है, उन्हें केंद्र/राज्य के स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएं

प्रवेश देने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा: –

(ए) नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय:

1. स्थानांतरणीय एवं गैर-स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे, अर्थात् वे सभी बच्चे जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

नोट: बच्चों के प्रवेश में वरीयता पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के स्थानांतरण की संख्या पर आधारित होगी।

(बी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय:

1. विद्यालय के प्रायोजक परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे, संकाय और स्नातकोत्तर छात्र जो दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं/कार्यों पर काम कर रहे हैं और नियमित वार्डन परिषद (सीओडब्ल्यू) के कर्मचारी और संबंधित परियोजना/आईएचएल में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और संबंधित परियोजना/आईएचएल द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा कर्मचारी (हालांकि, एजेंसी, आउटसोर्स, तीसरे पक्ष के माध्यम से काम पर रखे गए संविदा कर्मचारियों को प्रवेश में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी)।

नोट: सेवारत कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और परियोजना/आईएचएल द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी।

2. स्थानान्तरणीय एवं अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. स्थानान्तरणीय एवं अस्थानान्तरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
5. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे , अर्थात् वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 5 में से किसी के अंतर्गत नहीं आते।

नोट: पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के स्थानान्तरण की संख्या के आधार पर बच्चों के प्रवेश में वरीयता दी जाएगी।

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु उस शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक 6 वर्ष होनी चाहिए जिसमें प्रवेश चाहा जा रहा है (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे पर भी विचार किया जाना चाहिए।)

केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे पर भी विचार किया जाना चाहिए।)

कक्षा	जिस वर्ष प्रवेश चाहा जा रहा है, उस वर्ष की 31 मार्च को न्यूनतम/अधिकतम आयु ।
में	6 वर्ष किन्तु 08 वर्ष से कम आयु।
द्वितीय	7 वर्ष किन्तु 09 वर्ष से कम आयु।
तृतीय	7 वर्ष किन्तु 10 वर्ष से कम आयु।
चतुर्थ	8 वर्ष किन्तु 10 वर्ष से कम आयु।
वी	9 वर्ष किन्तु 11 वर्ष से कम आयु।

छठी	10 वर्ष किन्तु 12 वर्ष से कम आयु।
सातवीं	11 वर्ष किन्तु 13 वर्ष से कम आयु।
आठवीं	12 वर्ष किन्तु 14 वर्ष से कम आयु।
नौवीं	13 वर्ष किन्तु 15 वर्ष से कम आयु।
एकस	14 वर्ष किन्तु 16 वर्ष से कम आयु।

टिप्पणी :

1. सत्र 2022-23 में कक्षा 1 के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप, भविष्य में भी उपयुक्त कक्षाओं के लिए आयु सीमा में उत्तरोत्तर परिवर्तन परिलक्षित होता रहेगा।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) के मामले में प्रधानाचार्य द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।
3. कक्षा 11 में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते छात्र कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में प्रवेश लेना चाहता हो। इसी प्रकार, कक्षा 12 में प्रवेश के लिए कोई ऊपरी या निचली आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते छात्र की कक्षा 11 उत्तीर्ण करने के बाद निरंतर अध्ययन में कोई रुकावट न आई हो।

5. कक्षा की संख्या और सक्षम अधिकारी

कक्षा शक्ति	अधिकार	खजूर)	टिप्पणी
32 तक (नए प्रवेश के लिए)	प्रधानाचार्य	30 जून तक	पंजीकृत एवं पात्र अभ्यर्थी रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन (कक्षा ग्यारह को छोड़कर)।
		सीबीएसई द्वारा कक्षा दस के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन।	पंजीकृत और पात्र अभ्यर्थी, विद्यमान के.वी. विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद ही कक्षा ग्यारहवीं के लिए रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन होंगे।

कक्षा I के लिए 40 तक तथा अन्य सभी कक्षाओं के लिए 45 तक	प्रधानाचार्य	वर्ष का कोई भी समय	यह प्रावधान केवल सिविल/रक्षा क्षेत्र में श्रेणी I और II के अभिभावकों तथा परियोजना/आईएचएल क्षेत्र में श्रेणी I से III के अभिभावकों पर लागू है , जो केवी टीसी मामलों सहित वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में नए प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद नए शामिल हुए हैं या मध्यावधि स्थानांतरण के कारण शामिल हुए हैं।
--	--------------	--------------------	---

टिप्पणी:

1. मध्यावधि स्थानांतरण/नए शामिल हुए कर्मचारियों के कारण केवी टीसी और गैर-केवी टीसी (नए प्रवेश) के बीच बराबरी की स्थिति में, केवी टीसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त के.वी. टी.सी. मामलों में के.वी. के पुनः आबंटन का निर्णय लेंगे, ताकि नामांकन उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट अनुसार प्रति सेक्शन 40/45 से अधिक न हो।
3. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 के लिए कक्षा संख्या की ऊपरी सीमा 40 है, जिसे आगामी शैक्षणिक सत्रों में क्रमशः लागू किया जाएगा, अर्थात् सत्र 2025-26 में कक्षा 1 और 2 के लिए 40, सत्र 2026-27 में कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 40, इत्यादि।

6. प्रवेश में आरक्षण

- A. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी: सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।
- B. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) के लिए नए प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से 3% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।

7. स्थानीय स्थानांतरण (टीसी) सहित केवी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश।

केवी टीसी वाले बच्चों का प्रवेश इस प्रवेश दिशानिर्देश के भाग-ए, पैरा 5 में दी गई तालिका में उल्लिखित कक्षा क्षमता के अधीन माना जाएगा ।

(i) रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, जो गैर-पारिवारिक स्टेशन क्षेत्रों में स्थानांतरित होने पर अपने परिवार को अपनी पसंद के स्टेशन पर ले जाते हैं, वे अपने बच्चों को के.वी. टीसी पर उस स्टेशन पर स्थित के.वी. में दाखिला दिला सकते हैं, जहां वे अपने परिवार को रखेंगे।

(ii) सिविल/रक्षा क्षेत्र में श्रेणी I और II के अभिभावकों तथा परियोजना/आईएचएल क्षेत्र में श्रेणी I से III के अन्य सभी मामलों में , जहां अभिभावक का स्थानांतरण शामिल नहीं है, केवी टीसी के साथ प्रवेश केवल संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, जो प्रवेश दिशानिर्देशों के पैरा 5 के भाग-ए में दी गई तालिका में उल्लिखित कक्षा क्षमता के अधीन होगा।

(iii) स्थानीय स्थानांतरण के सभी मामले, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की योग्यता के आधार पर संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त के अनुमोदन से किए जाएंगे , यदि कक्षा संख्या प्रत्येक अनुभाग में 32 से कम है, जहां स्थानीय स्थानांतरण की मांग की जाती है।

8. केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा ग्यारह में प्रवेश के लिए एनआईओएस/राज्य बोर्ड/आईसीएसई के छात्र यदि रिक्तियां हों तो क्रमशः केवीएस और सीबीएसई के छात्रों पर विचार करने के बाद, राज्य बोर्ड/आईसीएसई/एनआईओएस के छात्रों को कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है ।

9. कक्षा X और XII के लिए नया प्रवेश

केवी के छात्रों के अलावा, कक्षा X और XII में नए प्रवेश रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन स्वीकार किए जाएंगे। कक्षा X और XII में ऐसे प्रवेशों पर केवी के प्रिंसिपल द्वारा तभी विचार किया जाएगा, जब कक्षा X/XII में औसत संख्या 32 से कम हो। यह आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) बच्चा उसी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा हो, अर्थात सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में।

सर्वोत्तम ऑनलाइन पाठ्यक्रम

(ii) कक्षा 10 के लिए, बच्चे को कक्षा 9 में कुल मिलाकर 55% से कम अंक नहीं प्राप्त करने चाहिए।

(iii) कक्षा XII में प्रवेश के लिए कक्षा XI की परीक्षा में 55% अंक अनिवार्य हैं।

(iv) बच्चा केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(v) विद्यार्थी द्वारा चुने गए विषयों का संयोजन केन्द्रीय विद्यालयों में उपलब्ध है।

(vi) नया प्रवेश केवल सिविल और रक्षा क्षेत्र के केवी के लिए प्राथमिकता श्रेणी 1 और 2 तथा आईएचएल/परियोजना क्षेत्र केवी के मामले में श्रेणी 1 से 3 के लिए होगा।

10. रिक्त सीटों के लिए प्रवेश

यदि प्रवेश वर्ष में 30 जून के बाद सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो क्षेत्र के उपायुक्त को 31 जुलाई तक प्रवेश में प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित क्षमता तक प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार है।

नोट: प्रवेश दिशानिर्देशों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मुद्दे के मामले में, आयुक्त, केवीएस का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-बी

विशेष प्रावधान

1. प्रवेश दिशानिर्देशों के भाग-ए, पैरा 5 में उल्लिखित कक्षा क्षमता के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा:
 1.
 - I. केवीएस (केन्द्रीय विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जेडआईईटी और केवीएस (मुख्यालय) के सेवारत कर्मचारियों के बच्चों को कक्षा की संख्या/स्थानांतरण/भर्ती के वर्ष की परवाह किए बिना वर्ष के किसी भी समय प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, कक्षा IX के लिए, बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी/कर्मचारी केवीएस में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, उनके बच्चों को भी नियमित केवीएस कर्मचारियों के बराबर माना जाना चाहिए)।
 - II. केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पेंशन कागजात/पत्र की प्रति को प्रमाण के रूप में लिया जाएगा।
 - III. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक (सेना), नौसेना पदक (नौसेना), वायुसेना पदक (वायु सेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
 - IV. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।

- V. मेधावी खिलाड़ी बच्चे जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया/एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
- VI. स्काउट्स एवं गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- VII. वे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, या राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा स्थापित बाल श्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं तथा वे बच्चे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।
- VIII. वे बच्चे जिन्होंने ललित कला में विशेष प्रतिभा दिखाई हो और जिन्हें कला उत्सव विजेताओं सहित राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता मिली हो।
- IX. कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कक्षा की क्षमता से अधिक प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते प्रति केवी 10 बच्चे और प्रति कक्षा अधिकतम 02 बच्चे हों। इन बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक की फीस (ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी। (केवल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल में पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए)।
- X. कश्मीर प्रवासियों के बच्चों को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा:
- 1.
 - 1.
 - a. प्रवेश की तिथि 30 दिन के लिए बढ़ाई गई।
 - b. न्यूनतम पात्रता आवश्यकता के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ प्रतिशत में छूट लागू होगी।
 - c. कक्षा की क्षमता से अधिक प्रवेश दिया जाएगा।
- 1.
- ix.

2. सशस्त्र/अर्धसैन्य बलों के बच्चों का प्रवेश

एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यक्रम और सिलेबस का पालन करने वाले स्कूलों और सशस्त्र बलों (सेना, वायु सेना, नौसेना) और अर्धसैनिक बलों यानी सीआरपीएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी/एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल)/सीआईएसएफ/एनएसजी, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक, इसरो/ईईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी)/डीआरडीओ द्वारा संचालित स्कूलों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश तभी स्वीकार किया जाएगा, जब कक्षा 1 के लिए नामांकन 40 से कम और अन्य सभी कक्षाओं के लिए 45 से कम हो और माता-पिता का उस स्थान पर स्थानांतरण हो गया हो या वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वहीं बसना

चाहते हों या किसी गैर-पारिवारिक स्थान पर स्थानांतरित हुए हों या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हों और परिवार को कहीं और रखना चाहते हों। इसके अलावा, ऐसे अनुरोधों पर केवल उन स्थानों पर विचार किया जाएगा, जहां उन संगठनों द्वारा संचालित स्कूल उपलब्ध नहीं हैं।

यह प्रावधान भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित स्कूलों पर भी लागू होगा। यह प्रावधान इसरो/ईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी) द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों पर भी लागू किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों/अर्धसैनिक बलों यानी सीआरपीएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी/एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल)/सीआईएसएफ/एनएसजी और असम राइफल्स के बच्चों यानी बेटे और बेटियों के लिए हैं। इसमें रक्षा कार्मिकों के पोते-पोतियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आयु और अंकों/ग्रेड के लिए पात्रता मानदंड सहित केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। साथ ही, वीवीएन सहित शुल्क का भुगतान केंद्रीय विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के महीने से किया जाना है, भले ही उस स्कूल में अगले महीनों की फीस पहले ही चुकाई जा चुकी हो, जहां से केवी में प्रवेश के लिए टीसी जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय/विभागों/प्राधिकरण के स्कूलों द्वारा जारी टीसी का उस क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त द्वारा समर्थन किया जाएगा जहां प्रवेश मांगा गया है।

भाग-सी

प्रवेश की प्रक्रिया

1. प्रचार

केवीएस (मुख्यालय) द्वारा जारी प्रवेश अनुसूची के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में कक्षा-1 में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने बच्चों का पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है और सभी के लिए खुला है, प्रवेश को विनियमित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए केवल कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरक्षण का भी संकेत दिया जाना चाहिए।

2. पंजीकरण

- i. यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान नहीं है तो पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई रिक्त स्थान होता है, तो स्थानीय स्तर/विद्यालय की वेबसाइट, स्कूल नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है और केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
- ii. यदि पंजीकरण चाहने वाले बच्चों की संख्या कम है जिसके कारण सभी सीटें नहीं भरी गई हैं, तो प्रधानाचार्य प्रवेश अनुसूची के अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता को अधिसूचित करते हुए दूसरा विज्ञापन जारी करेंगे।
- iii. विद्यालय की कार्यकारी समिति की स्वीकृति से ही प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। यदि कार्यकारी समिति कक्षा की पूरी स्वीकृत क्षमता तक प्रवेश को मंजूरी नहीं देती है, तो प्रधानाचार्य इस तथ्य की सूचना उपायुक्त को देंगे, जो प्रवेश को मंजूरी दे सकते हैं।
- iv. कक्षा 11 के लिए पंजीकरण कक्षा 10 के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा और कक्षा की पूरी क्षमता तक प्रवेश सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण पूरी क्षमता तक बच्चों को प्रवेश देने में कोई कठिनाई होती है, तो अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और कक्षा की स्वीकृत क्षमता तक प्रवेश **सीबीएसई परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर** उपायुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा।
(v) पंजीकरण फॉर्म प्रिंसिपल द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हालाँकि, कक्षा-1 के लिए, पंजीकरण ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा जब पोर्टल लाइव होगा।
- v. पंजीकरण फॉर्म सभी प्रकार से पूर्ण करके तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ के.वी.एस. की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित विद्यालय में जमा/भेजा जाना चाहिए।
- vi. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. दस्तावेज़

कक्षा 1 के लिए, जन्म पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु प्रमाण का प्रमाण पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्र परिषद / नगर पालिका / नगर निगम से प्रमाण पत्र शामिल होंगे, ग्राम पंचायत, सैन्य अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड से जन्म तिथि के बारे में उद्धरण। अन्य कक्षाओं के लिए, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी। जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद माता-पिता को वापस कर दिया जाना चाहिए। कक्षा-आठ तक प्रवेश किसी भी स्कूल

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के बिना दिया जा सकता है बशर्ते बच्चा अन्यथा योग्य हो और उसका जन्म प्रमाण पत्र किसी सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।

1. संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/बीपीएल से संबंधित है, जहाँ भी लागू हो। प्रवेश के उद्देश्य से, माता-पिता में से किसी एक के संबंध में प्रमाण पत्र को शुरू में स्वीकार किया जा सकता है, यदि यह प्रमाण पत्र बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि वह विशेष आवश्यकता वाला बच्चा (सीडब्ल्यूएसएन) है, जहाँ भी लागू हो। ऐसे मामले में, जहाँ बच्चे की विकलांगता को प्रिंसिपल द्वारा दृष्टिगत रूप से देखा जा सकता है, बच्चे को बिना प्रमाण पत्र के भी सीडब्ल्यूएसएन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, माता-पिता को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उसे स्कूल में जमा करने की सलाह दी जा सकती है।
3. पिछले सात वर्षों के दौरान हुए स्थानान्तरणों की संख्या दर्शाने वाला सेवा प्रमाणपत्र, जिस पर कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर और मुहर लगी हो तथा उस पर बड़े अक्षरों में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरण अंकित हो।
4. वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र।
5. निवास का प्रमाण।

टिप्पणी:

(i) केवल पंजीकरण से प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा।

(ii) अपूर्ण आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यदि रिक्तियां रह जाती हैं, तो प्राचार्य अपने विवेकानुसार बाद में फॉर्म पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।

(iii) किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्रधानाचार्य द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रधानाचार्य की ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

(iv) कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। डबल शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय में, प्रवेश के उद्देश्य से प्रत्येक शिफ्ट को अलग विद्यालय माना जाएगा।

शिफ्ट में कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं, तो केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

(v) श्रेणी I, II, III और IV प्रवेशों के संबंध में माता-पिता द्वारा उनकी सेवा के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सत्यता को अनिवार्य रूप से प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

4. कक्षा-1 में प्रवेश की विधि

नए प्रवेश की उपलब्ध सीटों में से 25% शिक्षा के अधिकार (जिसे आगे 'आरटीई' कहा जाएगा) के लिए आरक्षित होंगी, 15% एससी के लिए आरक्षित होंगी, 7.5% एसटी के लिए आरक्षित होंगी और 27% सीटें "ओबीसी- नॉन क्रीमी लेयर" के लिए आरक्षित होंगी। (जिसे आगे "ओबीसी-एनसीएल" कहा जाएगा)

आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों के प्रवेश के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) का प्रवेश कैट-1 के बच्चों को लिया जाएगा। कैट-1 के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों में एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल भी शामिल होंगे। इसी तरह, कैट-1 के प्रवेश के बाद, कैट-2 का प्रवेश लिया जाएगा जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल (प्रोजेक्ट/आईएचएल स्कूल के मामले में कैट-3 तक) शामिल होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या में कमी की गणना आरटीई कोटा और प्राथमिकता श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के तहत भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल बच्चों की संख्या पर विचार करने के बाद की जाएगी।

आरक्षण मानदंड अनुमोदित कक्षा में प्रति सेक्शन 32 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ लागू होंगे:

आरटीई	25%	:	08	सीटें
एससी	15%	:	05	सीटें
एसटी	7.5%	:	02	सीटें
ओबीसी	27%	:	08	सीटें

(विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) के आवेदकों के लिए 3% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी)

पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी के आयोजन का क्रम निम्नानुसार होगा::

a)		आरटीई	लॉटरी
b)	सभी	सीडब्ल्यूएसएन	लॉटरी
c)			कैट-I
d)			कैट-II
e)			एससी
f)			एसटी
g)			ओबीसी
h)			कैट-III
i)			कैट-IV
j)			कैट-V
k)	कैट-VI (यदि लागू हो)		

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-1 में नए प्रवेश के लिए निम्नलिखित क्रम अपनाया जाना है:

- I. **प्रथम लॉट** : प्रत्येक सेक्शन में कक्षा I में 8 सीटें (32 सीटों में से) आरटीई प्रावधानों (सीटों का 25%) के अनुसार भरी जानी हैं और ये 08 सीटें एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/सीडब्ल्यूएसएन के सभी आवेदनों में से लॉटरी द्वारा भरी जाएंगी, जो पड़ोस के निवासी हैं।
- II. **दूसरा भाग** : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/अनारक्षित के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लॉटरी प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार आयोजित की जाएगी।
- III. **तीसरा भाग** : शेष सीटें (आरटीई और सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों को घटाने के बाद, यदि कोई हो) कैट-1 और कैट-2 (प्रोजेक्ट/आईएचएल केवी के मामले में कैट-1 से कैट-3) की मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार केवल स्वीकृत क्षमता तक या कैट-1 और कैट-2 (प्रोजेक्ट/आईएचएल केवी के मामले में कैट-1 से कैट-3) के सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के भर जाने तक भरी जाएंगी।
- IV. **चौथा लॉट** : – एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल की कुल संख्या की गणना आरटीई, डीए, कैट-1 और कैट-2 (प्रोजेक्ट/आईएचएल केवी के मामले में कैट-1 से कैट-3) के तीसरे चरण तक किए गए दाखिलों के सारांश से की जाएगी। इसके बाद, एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षित सीटों में कमी, यदि कोई हो, को स्वीकृत क्षमता की परवाह किए बिना, प्रवेश की प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल आवेदकों को प्रवेश देकर कवर किया जाएगा।

- V. **पांचवां भाग** : – इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, यदि स्वीकृत संख्या पूरी नहीं होती है और सीटें खाली रहती हैं, तो प्राथमिकता श्रेणी-3 (प्रोजेक्ट/आईएचएल केवी में श्रेणी-4) से आगे के आवेदकों को केवल अनारक्षित सीटों के लिए मौजूदा प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई/एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) की खाली बची हुई आरक्षित सीटों को खाली रखा जाना चाहिए।
- VI. **ऑनलाइन पंजीकृत उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में, शेष रिक्त आरक्षित सीटों को भरना** : आरटीई/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के खाली कोटे को भरने के लिए, संबंधित केंद्रीय विद्यालय द्वारा प्रवेश की अनुसूची के अनुसार एक अलग विज्ञापन दिया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण कोटे की कमी को पूरा करने के लिए केवल उस विशेष श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों का ऑफलाइन पंजीकरण किया जा सके। इस प्रकार ऑफलाइन पंजीकृत उम्मीदवारों को आरक्षण कोटे की कमी को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी, यदि ये सीटें खाली रहती हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- किसी भी स्थिति में आरटीई के तहत आरक्षित सीटें अनारक्षित नहीं की जाएंगी।**
 - एससी/एसटी की रिक्त सीटों के मामले में:** एससी/एसटी सीट को उपलब्ध एससी/एसटी सामाजिक श्रेणी प्राथमिकता सूची से पंजीकृत उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार सीट बदलने के बाद भरा जाना चाहिए यानी रिक्त एससी सीटें एसटी से या इसके विपरीत तभी भरी जा सकती हैं, जब कुल एससी और एसटी उम्मीदवारों को मिलाकर एससी और एसटी की कुल आरक्षित सीटों से कम हों। यह एकत्रीकरण सभी श्रेणियों के सभी भर्ती किए गए एससी और एसटी उम्मीदवारों की गणना करके प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एक ही सेक्शन केवी में कुल एससी और एसटी सीटें 8 (5 एससी + 3 एसटी) हैं। अब मान लीजिए कि 5 एससी और 1 एसटी पहले से ही भर्ती हो चुके हैं और भर्ती करने के लिए कोई और एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में एसटी की ये 2 सीटें एससी को नहीं दी जाएंगी
 - ओबीसी की रिक्त सीट के मामले में:** पैरा 4(vi) में उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी ओबीसी (एनसीएल) के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसे अनुमोदित वर्ग क्षमता के भीतर प्राथमिकता श्रेणियों से शेष प्रतीक्षा सूची वाले पात्र उम्मीदवारों से भरा जा सकता है।
 - (घ) वंचित समूह/कमजोर वर्ग/बीपीएल/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) की परिभाषा/पात्रता मानदंड संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना के अनुसार होंगे। (संबंधित डीसी केवीएस आरओ संबंधित राज्य सरकारों की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार बीपीएल/ईडब्ल्यूएस के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं)।
 - कक्षा 1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पणी:-

A. वंचित समूह की परिभाषा

1. वंचित समूह से संबंधित बच्चे का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारक के कारण वंचित है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (डी))।
2. विशेष आवश्यकताओं वाले और विकलांगता से पीड़ित बच्चे का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अनुसार किया जाएगा।

B. कमजोर वर्ग की परिभाषा

कमजोर वर्ग के बच्चे का तात्पर्य ऐसे माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या कानून द्वारा घोषित) से संबंधित बच्चे से है, जिनकी वार्षिक आय उचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा (धारा 2 (ई)) से कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी।

C. पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण (केवल आरटीई के तहत प्रवेश के लिए लागू)

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर स्थित हैं, इसलिए पड़ोस की सीमा निर्धारित करने के लिए उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. प्रमुख शहर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय और मेट्रो) – 5 किमी त्रिज्या
2. उपरोक्त 1 में शामिल के अलावा अन्य स्थान और क्षेत्र – 8 किमी त्रिज्या

नोट:-

1. सभी आवेदकों को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
2. इस संबंध में माता-पिता से दूरी के बारे में लिखित में स्व-घोषणा भी स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते कि सत्यापन किया जाए।

कक्षा 1 के लिए प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। अन्य कक्षाओं के लिए, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, ऑफ़लाइन मोड में प्रवेश दिया जाएगा।

5. ऑफ़लाइन लॉटरी के लिए समिति का गठन।

प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय कक्षा 1 या किसी अन्य कक्षा (केवल ऑफलाइन मोड के लिए) में आयोजित किए जाने वाले ड्रॉ की प्रणाली की निगरानी के उद्देश्य से एक समिति का गठन करेगा, जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी विशेष श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों या समान संख्या में स्थानान्तरण वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों की संख्या के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सके।

समिति में निम्नलिखित पांच (05) सदस्य शामिल होंगे: –

1.	प्रधानाचार्य	संयोजक
2.	अध्यापक	सदस्य (प्रधान द्वारा नामित)
(3 व 4)	दो माता-पिता (एक महिला)	सदस्य (आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों में से एक माता-पिता होना आवश्यक है)
5.	वीएमसी सदस्य	सदस्य (वीएमसी के अध्यक्ष द्वारा नामित)

- जहां भी ये कक्षाएं हों, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में से प्रधानाचार्य द्वारा एक अतिरिक्त 6वां सदस्य नामित किया जा सकता है।
- इस समिति को वीएमसी के अध्यक्ष की सहमति से लॉटरी से कम से कम 5 दिन पहले अधिसूचित किया जा सकता है और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

6. शुल्क एवं अन्य रियायतें:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित 25% कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- एक बार जब बच्चों को आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा-1 में दाखिला मिल जाता है, तो वे उसी केवी में कक्षा आठ तक छूट और रियायतें प्राप्त करते रहेंगे।
- पंजीकरण के समय माता-पिता का पता प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जिन कर्मचारियों को अपने विभागों में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, वे आरटीई रियायत का दावा नहीं कर सकते।

7. कक्षा II से VIII में प्रवेश की विधि

कक्षा II से VIII तक प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश , भाग-A, पैरा 05 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा क्षमता के भीतर तथा अभिभावकों की प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार रिक्त सीटों को भरने के लिए दिया जा सकता है ।

8. कक्षा IX में प्रवेश की विधि

कक्षा 9 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा प्राथमिकता श्रेणी के लिए अलग से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। भाग-ए, पैरा 05 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा क्षमता के भीतर तथा अभिभावकों की प्राथमिकता श्रेणी के क्रम के अनुसार रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

- i. प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान।
- ii. प्रवेश परीक्षा का केवल एक पेपर होगा जो 3 घंटे की अवधि का होगा तथा 100 अंकों का होगा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रत्येक 20 अंक के होंगे।
- iii. अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कुल मिलाकर न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित छात्र कुल मिलाकर 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

9. कक्षा ग्यारह केवी छात्रों के लिए प्रवेश की विधि:

केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रीम की उपलब्धता के अनुसार केवी छात्रों के मामले में अधिकतम 40 की संख्या तक विभिन्न स्ट्रीम यानी विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट सूची की घोषणा से पहले माता-पिता की सहमति से छात्रों से स्ट्रीम का विकल्प लिया जाएगा। कक्षा X सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्ट्रीम आवंटित की जाएगी। एक स्ट्रीम में सीटें समाप्त होने के बाद छात्रों को उस विद्यालय में उपलब्ध अन्य स्ट्रीम में प्रवेश लेना होगा। केवी द्वारा मेरिट सूची को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों से अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए।

मेरिट सूची केवल अपने पंजीकृत केवी छात्रों के लिए तैयार की जानी है। (हालांकि, यदि निकटतम केवी में कक्षा X में सबसे अधिक छात्र हैं (केवी अस्थायी भवन में चल रहा है या कक्षा XI शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण), तो संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी और दाखिला दिया जाएगा। उस स्थिति में, क्षेत्र के उपायुक्त सीबीएसई परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद केवी में स्ट्रीम की उपलब्धता के आधार पर निकटवर्ती केवी का फैसला करेंगे)

नोट: यदि केवी/पड़ोसी केवी के बच्चों को प्रवेश देने के बाद भी कक्षा XI में सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो गैर-केवी बच्चों को इस पैरा के बिंदु 'सी' के अनुसार प्राथमिकता की श्रेणियों के अनुक्रम में समान मानदंडों पर प्रवेश दिया जा सकता है।

जहां भी लागू हो, रियायतें मेरिट सूची तैयार करते समय शामिल की जाएंगी।

- a. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी सभी विषयों में कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:
 - i. गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - ii. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को गणित में समान अंक मिले हैं, तो गणित और विज्ञान दोनों में मिलाकर उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी।
 - iii. गणित और विज्ञान दोनों में समान अंक प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच बराबरी की स्थिति में, जन्मतिथि के अनुसार आयु में बड़े छात्र को दूसरे पर वरीयता दी जाएगी।
- b. के.वी. बच्चों के मामले में, सामान्यतः कक्षा की क्षमता 40 तक सीमित होती है। हालांकि, 40 से अधिक पात्र के.वी. छात्रों को समायोजित करने के लिए पड़ोसी के.वी. में आवंटन/समायोजन के लिए क्षेत्र के उपायुक्त से परामर्श किया जाएगा।
- c. प्रधानाचार्य गैर-केवी बच्चों को कक्षा XI में केवल निर्धारित कक्षा संख्या यानी 32 के भीतर ही प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार नए प्रवेश के लिए प्रवेश दे सकते हैं। भाग-ए, पैरा 05 में दी गई तालिका में निर्धारित कक्षा संख्या के भीतर और अभिभावकों की प्राथमिकता श्रेणी के क्रम के अनुसार रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।
- d. किसी विद्यार्थी को, जो पहले किसी विशेष स्ट्रीम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं पाया गया था, अगले शैक्षणिक सत्र में कक्षा XI में किसी विशेष स्ट्रीम में नए सिरे से प्रवेश दिया जा सकता है, यदि वह उसी बोर्ड से एक वर्ष के भीतर अपने प्रदर्शन में सुधार करता है, बशर्ते कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद रिक्तियां मौजूद हों।
- e. पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी इसी प्रक्रिया में समायोजित किया जाएगा।

टिप्पणी : सूचना विज्ञान अभ्यास एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम में पेश किया जाता है। इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिया जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी, जहाँ भी वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है, विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों को पेश किया जाना है और संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। मल्टीमीडिया और वेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहाँ भी उपलब्ध है) वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम (वाणिज्य, मानविकी और विज्ञान) के छात्रों को संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार पेश किया जा सकता है।

कक्षा ग्यारह में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें दी जाएंगी।

(ए) विभिन्न स्तरों पर खेलकूद एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं/स्काउटिंग एवं गाइडिंग/एनसीसी/एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए निम्नलिखित छूट दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र पिछले किसी भी वर्ष का हो सकता है।

क्र. सं.	खेल - कूद वाले खेल	एनसीसी	स्काउटिंग/गाइडिंग	साहसिक गतिविधियाँ	प्रवेश हेतु अंकों में छूट
एक।	एसजीएफआई या समकक्ष स्तर पर भागीदारी	'ए' प्रमाण पत्र और गणतंत्र दिवस परेड/प्रधानमंत्री रैली में भागीदारी	राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कार प्रमाण पत्र	शून्य	कुल मिलाकर 6% अंक
बी।	केवीएस राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर भागीदारी	जिला/राज्य स्तर पर 'ए' प्रमाण पत्र एवं सर्वश्रेष्ठ कैडेट	07 प्रवीणता बैज के साथ राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र	शून्य	कुल मिलाकर 4% अंक
सी।	केवीएस क्षेत्रीय/जिला स्तर पर भागीदारी	'एक प्रमाण पत्र	05 प्रवीणता बैज के साथ तृतीया सोपान प्रमाणपत्र	कम से कम एक 10 दिवसीय साहसिक गतिविधि में भागीदारी	कुल मिलाकर 2% अंक

(बी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सीडब्लूएसएन से संबंधित छात्रों को कक्षा ग्यारह में प्रवेश के उद्देश्य से कुल मिलाकर 4% अंकों का उन्नयन दिया जाएगा।

नोट:

खेल/खेल/एनसीसी/स्काउट/गाइड/एडवेंचर के अंतर्गत अधिकतम छूट कुल अंकों में 6% से अधिक नहीं होगी। ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एक से अधिक छूट के लिए पात्रता के मामले में, उम्मीदवार को अधिकतम लाभ देने वाली केवल एक छूट की अनुमति दी जाएगी। केवी में नए प्रवेश के लिए गैर-केवी छात्रों को भी यही लाभ दिया जा सकता है।

इसके अलावा, जहां भी लागू हो, इन प्रवेश दिशानिर्देशों को बालवाटिका कक्षाओं तक भी लागू किया जाएगा।

वर्ष के किसी भी समय किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में प्रवेश दिशानिर्देशों में कोई भी परिवर्तन आवश्यक होने पर, के.वी.एस. के अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से परिवर्तन किया जा सकता है।

KLS